

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

शोरहीट बनाम श्रीमती शकुन्तला चौधरी

दावा वाकत :- 28, 29, 30, 31

मुकदमा नम्बर :- 367/2021

निर्णय दिनांक :- 09.12.2021

वादी की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार लाल की व प्रतिवादी सं0.1.2.2 की ओर से वकील श्री शरणीत किराणिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.12.2021 को गुज शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री गौरी पुत्र (डिमा) का के खाता संख्या 146/135 के खाता सं० 123 की प. 234 हैं खाता सं० 132 की 5.628 हैं खाता सं० 133 की न. 3600 हैं खाता सं० 134 की 0.304 हैं खाता सं० 135 की 2.857 हैं खाता सं० 33 की 10.458 हैं कुल खाता सं० 133, 134, 135 के खाते खाता सं० 133 के खाते में प्रतिवादी शकुन्तला के नाम से खाता सं० 2 राजेरा को नदिखा करावर के खाते पर कार्रवार जोपित किए जाते हैं परन्तु खाता सं० 133 में हमलसामड किया जावे मुन्त होने पर खाता सं० 133 में हमलसामड किया जावे राजीरा का डिफ्री का भाग पदा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(सिविल प्रभारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़